निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
49/2016	21.6.2016	16.11.2016

गोपी दत्तक पुत्र स्व0 श्री नत्थी जाति मीना निवासी बडवाली ढाणीं खेडाबाढरामगढ तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री प्रेम प्रकाश जोशी, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी के मामा स्व0 नत्थी पुत्र श्री बंशी के लाऔलाद फौत होने की वजह से वादी की मां कौरी पुत्री श्री बंशी व वादी के दत्तक पिता ने वादी के नैसर्गिक पिता जिंसी से सहमति कर वादी को अपनी सेवा सुश्रुषा करने हेतु अल्प आयु में ही समाज की रीति रिवाज के अनुसार अपनी गोदी में बिठाकर सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार नारियल, पतासे बंटाकर सामाजिक मंगल गीत गवाए तभी से वादी अपने दत्तकगृहिता पिता (मामा) के पास रहने लगा जो निरन्तर मृत्यु तक जारी रहा तथा मृत्युपरान्त वादी ने अपने दत्तक का पीछा सुधारने की नियत से सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार क्रिया कर्म बारह ब्राह्मण व सामाजिक भोज भी करवाया । वादी का दत्तक पिता पेशे से कृषक था एवं वादी ने अपने दत्तक पिता के जीवनकाल में ही कृषि कार्यो में हाथ बंटाना शुरू कर दिया जो आज भी जारी है। वादी के दत्तक पिता ने खाम व पुख्ता पाटोर कृषि भूमि विरासत में छोडी है जिनका उपयोग उपभोग वादी 20 सालों से निरन्तर करता आ रहा है। कृषि भूमि जो गोपी पुत्र टुण्डा, कन्ना, कजोड्या पुत्रान ग्यारसा व नत्थी पुत्र बंशी के नाम ग्राम रामगढमुराडा की जमाबंदी में अंकित सं0 2071—2074 अंतिम है के वारिसान का नाम वादी को याद नहीं है और वादी उनसे किसी प्रकार की रिलीफ भी नहीं चाहता है इसलिए उन्हें पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। जमाबंदी से स्पष्ट ख0नं0 3 व 1937/2 रकबा 0.45 हैक्टर नत्थी पुत्र बंशी के स्थान पर वादी गोपी पुत्र नत्थी संशोधन कर राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि होना आवश्यक है। वादी द्वारा नायब तहसीलदार तलावडा के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होने अपंजीकृत मानते हुए व मौखिक आदेश प्रदान कर श्रीमान न्यायालय से प्रविष्टि संशोधन हेतु आदेश लाने के लिए कहा था। अतःवादपत्र

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर से डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख0नं0 3 व 1937/2 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि में अंकित इन्द्राज नत्थी पुत्र बंशी खातेदार के स्थान पर वादी गोपी पुत्र नत्थी का नाम संशोधित फरमाया जावे एवं नायब तहसीलदार तलावडा को इस बाबत रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश न्यायहित में फरमाए जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे में वादी के दावे को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि वादी अपंजीकृत गोदपत्र के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण खुलवाना चाहता है। वादी सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। दावा खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2071–74 ग्राम रामगढमुराडा, फोटोकोपी लिखावट, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र नत्थी मीना प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रस्तुत वादपत्र में कानूनी तथ्य नीहित होने के कारण वकील वादी को सुना गया । वादी के वकील ने कहा कि वह मृतक नत्थी मीना का गोद पुत्र है इसलिए ग्राम रामगढमुराडा की भूमि ख0नं0 3 रकबा 0.48 हैक्टर, ख0नं0 1937/2 रकबा 5.97 हैक्टर में दर्ज मृतक नत्थी पुत्र बंशी मीना के स्थान पर वादी को खातेदार दर्ज किया जावे।

वादपत्र में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2071–74 के अनुसार भूमि ख0नं0 3 रकबा 0.48 हैक्टर, ख0नं0 1937/2 रकबा 5.97 हैक्टर ग्राम रामगढमुराडा गोपी पुत्र टुण्डा, कन्ना पुत्र ग्यारसा, कजोडया पुत्र ग्यारसा कौम बैरवा, नत्थी पुत्र बंशी जाति मीना गैरखातेदार एवं चरागाह 1.25 है0 ना0नं0 787, 896 के नाम दर्ज है। वादी पत्रावली पर उपलब्ध फोटोकोपी अनरजिस्टर्ड लिखावट के आधार पर अपने आपको मृतक नत्थी मीना के स्थान भूमि का खातेदार दर्ज करवाना चाहता है। यह लिखावट अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड है इसलिए प्रथम दृष्टया ही कानून की नजर में इसकी कोई वैधानिकता नहीं है एवं इसके आधार पर वादी इस न्यायालय से कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी अपने आपको मृतक नत्थी मीना का गोदपुत्र मानता है तो उसे अपने आपको सक्षम सिविल न्यायालय से मृतक नत्थी मीना का गोदपुत्र घोषित करवाना आवश्यक है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने दस्तावेज के रूप में लिखावट की जो छायाप्रति पेश की है वह सिविल न्यायालय से जारी प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति है । इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी ने पहले से

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

से ही सिविल न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत किया है एवं वर्तमान दावे में उसने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी इस न्यायालय को अंधेरे में रखकर रिलीफ प्राप्त करना चाहता है। इस सब के फलस्वरूप वादी का यह दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है एवं वर्तमान स्टेज पर ही खारिज किए जाने योग्य है ।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

गोपी दत्तक पुत्र स्व0 श्री नत्थी जाति मीना निवासी बडवाली ढाणीं खेडाबाढरामगढ तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 49/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री प्रेमप्रकाश जोशी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई —— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.11.2016 को जारी किया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		